12.03.2019	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री किशोर कुमार जांगिड़ एडवोकेट ने विरूद्व अनावेदकगण बावत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं0 68 रकबा 1.32 है0 में आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में तथा किसी प्रकार की विधि विरूद्व कार्यवाही को अंजाम नही देवें व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ओर न ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति या कोई रिश्तेदार नौकर–चाकर आदि से करवायें। विवादित भूमि के संबधं में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदकगण वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृस्टया आवेदकगण वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं0 68 रकबा 1.32 है0 में आगामी तारीख पेशी तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अनावेदकगण को नोटिस रजिस्टर्ड एडी द्वारा जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 26.04.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
12.4.19	वकील अनावेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने का पत्रावली पेश उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाने का निर्देश दिया गया। कुल कार्य विड्रा किया जाना कहा प्रार्थना पत्र पारित किया जाता है। पत्रावली केवल उभय अभिभाषक से कहा गया तथा बाद तकमील कार्यवाही जावे। आदेश दर्ज हो नियमित मामला दि. 12.4.19 को पूर्व न्यायालय के सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner